

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

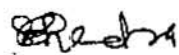
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 23.2.99

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. No. In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Krushna Chandra Memorial Trust, Orissa" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1998-99 to 2000-2001 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (Other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms of modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(SAMAR BHADRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. 10805

(F.No. 197/6/99-ITA-I)

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 II.11 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक २३.२.९९

अधिसूचना

आयकर।

कठोरात्मक आयकर अधिनियम, १९६१ [१९६१ का ४३] की धारा १० के खण्ड २३ ब। के उपखण्ड ११४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा "कृष्ण चन्द्र मेमोरियल ट्रस्ट, उड़ीसा" को कर-निर्धारण वर्ष १९९८-९९ से २०००-२००१ तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- II.1 कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उक्त उद्देश्यों के लिए करेगा, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- II.1.1 कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा ११ की उपधारा ५ में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से निम्न तरीकों से इसकी निधि/जैवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त ^{तथा} रख-रखाव में स्वेच्छिक भ्रंशादान से निम्न का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- II.1.1.1 यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

समर मंड

[समर मंड]

अवर-सचिव, भारत सरकार